

राजस्थान सरकार

वित्त, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग

संख्या-प: 147 वित्त/सावित्तेनि/87

जयपुर, दिनांक : 26/5/92

परिपत्र संख्या 23

आदेश

विषय- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन बाबत ।

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में निम्न लिखित संशोधन करने के आदेश एतद् द्वारा प्रदान करते हैं :-

The following shall be added as Note 4 below existing Note 3 under Rule 419 of the said rules:-

"Note-4. The purchasers of Tendu Patta Leaves/ Units may continue to render Security Deposit 10% in cash(Bank Drafts) and 15% in the form of Bank Guarantee as per condition of their agreement in the Forest Department."

आज्ञा से

उप शासन सचिव

Tech 1
R
16/7

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय/मुख्यमंत्री महोदय ।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/मुख्य सचिव/समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3. समस्त निर्णो सहायक, उच्च शासन सचिव ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी, राजस्थान ।
5. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, राजस्थान, जयपुर । 10 अतिरिक्त प्रति ।
6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, कोडिफिकेशन, विभाग । 7 अतिरिक्त प्रतियां ।
7. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग ।
8. निदेशक्रीष एवं लेख., राजस्थान, जयपुर । 25 अतिरिक्त प्रतियां ।
9. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद कराकर इस विभाग को अधिलम्ब भिजवाये ताकि हिन्दी अनुवाद को प्रेषित किया जासके ।
10. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जमेर ।
11. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।
13. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा समाल अधिकरण, जयपुर ।
14. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
15. प्रधान सम्पादक, लेखाविज्ञ एवं सचिवालय सन्देश ।

सलाउद्दीन
22-5-92


लेखाधिकारी